बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या व.सं./46/2019–

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक–

विषय – नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 10.3680 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना–II का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 527 (ई०) दिनांक 10.05.2019 द्वारा "रक्षित वन" (RF) "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 10.3680 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

3. विषयाधीन पथांश झारखंड राज्य के कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी से सटा हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके स्तर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल, हजारीबाग से विमर्श के पश्चात स्पष्ट हुआ कि इस योजना का अंश भाग जो कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के क्षेत्राधीन पड़ता है, उसमें Flyover निर्माण के साथ पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा की गयी है। इस संदर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" संयुक्त बिहार के समय कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी का ही भाग है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में अनुशंसा किया गया है कि बिहार राज्य अन्तर्गत पड़ने वाले "रजौली (नवादा) वन्यप्राणी आश्रयणी" के पूरे पथांश में भी कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के अनुरूप Flyover निर्माण के साथ पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना वन्यप्राणी के सुरक्षा हेतु उचित होगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा परियोजना निर्माण की 5% राशि प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त कर आश्रयणी के विकास पर खर्च करने की अनुशंसा किया गया है।

4. आश्रयणी क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना निर्माण की 5% राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

5. अपयोजित होने वाली 10.3680 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये नवादा वन प्रमंडलन्तर्गत 22.00 हे० दिबौर पार्ट–I गोपालपुर आरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 44,41,408 / – मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1168 / – रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं. / 46 / 2019– 253 दिनांक– 08/03/2021

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वियन इकाई, पटना–II / वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा / वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.3.2021
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन नं०–08986153143

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

नवादा जिलान्तर्गत NH-31 रजौली–बख्तियारपुर (47.723–54.405 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 10.3680 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	वन संरक्षक, गया द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

04.3.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन नं०–08986153143 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com